

29-11-19 . पत्रावली पेश हुई, बकील
वादीगण मद्र वादीगण अनुवासीत, प्रचीगण
का मूल वाद अरम टाजरी - अरम पेशी
में खारिज होने से प्रचीना पत्र का
कोई औचित्य नहीं रहता, अतः प्रचीगण
का प्रचीना पत्र मूल वाद के अभाव में
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है, पत्रावली
फैशल सुमार दोसर नम्बर से कम केसर राखिल
दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला-उदयपुर (राज.)